गया। मुताबिक ... निवेदन किया
किया जाने का निवेदन किया दिनांक
सुनी गई। वास्ते आदेश दिनांक
25-6-2018 को पेश हो।

25/6/18

पत्रावली वास्ते आदेश पेश है।

पक्षकारों ने परिपत्र आवेदन राजीनामा पेश कर निवेदन किया कि पक्षकारों ने लोक अदालत की पवित्र भावना से प्रेरित होकर आपस में राजीनामा कर लिया है। राजीनामा का समझौता पत्र 100/- रूपये के स्टाम्प पर तहरीर करवाकर दोनो पक्षो ने अपने अपने हस्तक्षार कर दिये। समझौता पत्र के साथ नक्शा भी बनाया गया है जो समझौता पत्र का ही भाग है। पक्षकारों के मध्य हुये राजीनामा का विवरण समझौता पत्र में वर्णित किया गया है उक्त समझौता पत्र की प्रति राजीनामा के साथ प्रस्तुत की जा रही है जो राजीनामा का भाग रहेगी।

भू-प्रबन्ध अधिकारी
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

राजीनामा के साथ प्रस्तुत समझौता पत्र में वर्णित तथ्यों के अनुसार अपील का निस्तारण किया जावे।

समझौता पत्र में पक्षकारों ने आराजी ख0नं0 1627, 1628/3860, 1631/3859 तथा 4145/1631 के सम्बन्ध में भिन्न भिन्न राजस्व न्यायालयों व फौजदारी न्यायालयों में काफी प्रकरण लम्बित चले आ रहे है दोनो पक्षों ने आपस में बैठकर लोक अदा--लत की भावना से प्रेरित होकर आपस में समझौता किया है।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने बहस में निवेदन किया कि पक्षकारों के मध्य लोक अदालत की पवित्र भावना के मध्य राजीनामा हुआ है । राजीनामा से किसी राजस्व प्रकरण का निस्तारण किया जाता है तो उससे पक्षकारों को वास्तविक न्याय प्रदान होता है और उनके मध्य हुये राजीनामा के अनुसार अपील स्वीकार होती है तो पक्षकारों में सदा के लिये ही मुकदमों का निस्तारण हो जायेगा । राज्य सरकार ने भी इस बाबत राजस्व लोक अदालतों का आयोजन करवाया है। जिससे प्रेरित होकर पक्षकारों के मध्य यह राजीनामा हुआ है। राजीनामा में दर्ज आराजी का पक्षकारानों अपने अपने हिस्सेनुसार अपने अपने कब्जे के अनुसार समझौता पत्र 100/-रूपये के स्टाम्प पर अलग से तैयार करवाकर उसके साथ नक्शा भी तैयार करवाकर पेश किया है जिसमें बाद में पक्षकारों में कोई विवाद नहीं हो ।अतः मुताबिक राजीनामा अपील का निस्तारण किया जावे ।

विद्वान वकील रेस्पोडेन्ट ने भी पक्षकारों के मध्य हुये राजीनामा के अनुसार अपील का निर्णय किये जाने मे कोई ऐतराज नहीं किया तथा पक्षकारों के मध्य लोक अदालत की पवित्र भावना से राजीनामा होकर प्रकरण का निस्तरण हो रहा है जो राज्य

| दिनांक | आज्ञा पत्र | |
|---|---|---|

राजीनामा अपील का निर्णय किया जावे ।

बहस बगौर समाहत की गई ।पत्रावली का अवलोकन किया गया ।पक्षकारों ने जरिये अभिभाषक राजीनामा पेश किया है ।राजीनामा लोक अदालत की पवित्र भावना से प्रेरित होकर किया है। राज्य सरकार भी पक्षकारों में राजीनामा होतो हैं तो लोक अदालत की भावना से राजीनामा के अनुसार निर्णय किये जाने के की भावनाओं से लोक अदालत लगाकर निर्णय किये जाने के आदेश जारी किये है ।राजीनामा का अवलोकन किया गया । पक्षकारों ने राजीनामा लोक अदालत की भावना से किया है अतः हम मुताबिक राजीनामा संलग्न समझौता पत्र पक्षकारान के अपील अपीलान्ट स्वीकार किया जाना उचित मानते हैं ।

अतः अपील अपीलान्ट मुताबिक राजीनामा संलग्न समझौता पत्र पक्षकारान के अनुसार स्वीकार की जाती है तथा विद्वान उप खण्ड अधिकारी झुन्झुनू का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12-12-2015 खारिज किया जाता है ।राजीनामा मय समझौता पत्र निर्णय का भाग रहेगा । इसे डिक्री माना जावे ।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया ।

25/6/18

(भंवरलाल मेहरड़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
सीकर